निबंधित

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांक.....
5/ स0 अपील (मिथिला कोल) – 43/2014

पटना, दिनांक.....

प्रेषक,

उप सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सर्वश्री मिथिला कोल इन्डस्ट्रीज प्रा0लि0,
श्री अरविन्द कुमार, पिता–श्री अनुप लाल मंडल,
उत्तम पैलेस,
फ्लैट नं0– 406,
खाजपुरा मेन बेली रोड, पो0– वी0भी कॉलेज, पटना–14

विषयः– दायर अपीलवाद सं0– 43/2015 की सुनवाई के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक सर्वश्री मिथिला कोल इन्डस्ट्रीज प्रा0लि0 पटना बनाम बियाडा के मामले में सुनवाई के उपरान्त पारित आदेश की छायाप्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ संलग्न है।

अनुलग्नकः– यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह0/–
उप सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 4947 दिनांक 28/01/2016

प्रतिलिपिः– प्रबंध निदेशक, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, उद्योग भवन, पटना को पारित आदेश की छायाप्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अनुलग्नकः– यथोक्त।

उप सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

आ दे श फ ल क

अपील संख्या 43/2014

सर्वश्री मिथिला कोल इण्डस्ट्रीज प्रा0 लि0, मुजफ्फरपुर

बनाम्

प्रबंध निदेशक, बिहार, औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार

यह अपील मेसर्स मिथिला कोउ इण्डस्ट्रीज प्रा0 लि0 मुजफ्फरपुर द्वारा बियाडा के आदेश ज्ञापांक 1955 दिनांक 22.09.14 जिसके द्वारा उनका आवंटन रद्द कर दिया गया है, के विरुद्ध दायर किया गया है। उभय पक्ष उपस्थित हैं। उभय पक्षों को सुना।

2– अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि 'बियाडा' द्वारा उन्हें वर्ष 1993 में (02) दो एकड़ भूमि उद्योग स्थापना हेतु 30 वर्षों के लिए आवंटित किया गया था। उनके द्वारा बताया गया कि कोल लिंकेज की अनुपलब्धता के कारण उत्पादन नहीं हो सका। बियाडा के बकाया राशि के संबंध में उन्होंने बताया कि वे बकाया का भुगतान एकमुश्त करने को तैयार है, यदि बियाडा ओ0टी0एस0 स्कीम 2014 के अन्तर्गत बकाया राशि की गणना करे।

3– बियाडा के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि पत्रांक 1548 दिनांक 06.12.1993 द्वारा मुजफ्फरपुर औद्योगिक क्षेत्र में (02) दो एकड़ भूमि A/26P, A/27, A/28 Part इकाई को 30 वर्षों के लिऐ आवंटित किया गया। बियाडा के पत्रांक 1865 दिनांक 25.08.07 द्वारा इकाई को औद्योगिक गतिविधि आरम्भ करने को कहा गया साथ ही ऐसा नहीं करने पर आवंटित जमीन को रद्द करने की सूचना दी गई। क्षेत्रीय प्रभारी एवं सहायक विकास पदाधिकारी द्वारा दिनांक 18.03.10, 10.02.11, 13.07.11, 05.11.11 एवं 03.10.13 को निरीक्षण किया गया एवं इकाई को वर्षों से बंद अवस्था में पाया गया तथा परिसर में जंगल झाड़ उगा हुआ पाया गया। बियाडा के पत्रांक 2276 दिनांक 07.11.11, पत्रांक 1134 दिनांक 28.05.13 द्वारा इकाई का Exit Policy की जानकारी दी गई एवं इकाई को बकाया राशि रु0 37,27,656/– जमा करने तथा उत्पादन कार्य आरम्भ करने को कहा गया। इकाई को पत्रांक 1511 दिनांक 04.07.13, पत्रांक 1825 दिनांक 07.08.13, पत्रांक 2196 दिनांक 04.10.13 द्वारा स्मारित भी किया गया है। इकाई को अंतिम कारण बताओं नोटिस पत्रांक 2196 दिनांक 04.10.13 द्वारा दिया गया । दिनांक 28.08.14 को बियाडा, निदेशक पर्षद की 46वीं बैठक में लिए गये निर्णय के आलोक मे कार्यालय आदेश ज्ञापांक 1955 दिनांक 22.09.14 द्वारा इकाई का आवंटन सह लीज डीड निबंधन को रद्द कर दिया गया।

4– उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि इकाई को वर्ष 1993 में भू–खण्ड उद्योग स्थापना हेतु आवंटित किया गया था एवं अब तक इकाई द्वारा कोई भी औद्योगिक गतिविधि प्रारम्भ नहीं की गई है। इकाई द्वारा कार्य करने का कोई ठोस प्रमाण/कागजात भी उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। उनके पास बियाडा के किस्त का भुगतान भी बकाया है। बियाडा के show cause Notice का भी कोई

जवाब नहीं दिया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्त्ता उद्योग स्थापना हेतु इच्छुक नहीं है उनका मकसद केवल आवंटित भूमि पर दूसरे उद्देश्य के लिए कब्जा बनाए रखने का है। उपरोक्त स्थिति में इकाई को आवंटित भू–खण्ड को रद्द करने का 'बियाडा' का आदेश सही है।

अतः अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

प्रधान सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

लेखापित एवं शुद्धित,

प्रधान सचिव
उद्योग विभाग, बिहार पटना।